प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.11.2026

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त को हिरासत में लिया गया, निशांदेही/कब्जे से आलाकत्ल पेपर कटर बरामद।

दिनाँक 23.11.2026 को थाना टीला मोड पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त जगदेव द्वारा वादी की चचेरी बहन को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड पर सुसंगत धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 26.11.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त जगदेव पुत्र लच्छू निवासी काका फार्म हाउस के पास निस्तोली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे/निशानदेही से आलाकत्ल एक पेपर कटर बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि मेरी पीडिता से पिछले 01 वर्ष से जान पहचान थी। मैंने पीडिता से शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया जिससे मैंने क्रोध में आकर पीडिता को जान से मारने की नीयत से इस पेपर कटर के हमला कर घायल कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जगदेव पुत्र लच्छू निवासी काका फार्म हाउस के पास निस्तोली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

निशादेही/कब्जे से आलाकत्ल पेपर कटर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना टीलामोड पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 किलो 06 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 26.11.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1. दिनेश उर्फ दुनेश पुत्र राजेन्द्र 2. पुष्पेंद्र पुत्र राजेन्द्र सुभाष निवासीगण हैदरनगर नगोला थाना कोतवाली जनपद हापुड को दतैडी चौराहे थाना भोजपुर क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 09 किलो 06 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना भोजपुर पर धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों भाई है और हम दोनों चोरी-छिपे दिल्ली से अवैध गांजा खरीदकर लाते है व गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर हापुड / बुलन्दशहर क्षेत्र में राह चलते लोगों को बेचकर मुनाफा कमाते है। हम गांजा खरीद कर जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. दिनेश उर्फ दुनेश पुत्र राजेन्द्र निवासी हैदरनगर नगोला थाना कोतवाली जनपद हापुड, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. पुष्पेंद्र पुत्र राजेन्द्र सुभाष निवासी हैदरनगर नगोला थाना कोतवाली जनपद हापुड, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 09 किलो 06 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 1.अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध थाना मुंडाली मेरठ में डकैती से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना बाबूगढ हापुड में आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व नकबजनी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत हैं। 2.अभियुक्त पुष्पेन्द्र के विरूद्ध थाना सिम्बावली हापुड में रंगदारी के सम्बन्ध में 02 अभियोग, थाना हाफिजपुर हापुड में नकबजनी के 02 अभियोग व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, थाना मुंडाली जनपद मेरठ में चोरी के 02 अभियोग, थाना बाबूगढ हापुड में चोरी का 01 अभियोग व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 किलो 130 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 27.11.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1.नरेन्द्र पुत्र रामफल निवासी ग्राम निडौरी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष 2. सुबोध पुत्र रामगोपाल निवासी मोहिदिनपुर ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष को अवैध गांजा के साथ नाहल झाल की ओर से कल्लूगढ़ी नाहल जेल लिंकरोड रास्ते पर थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 09 किलो 130 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्तों के विरूद्ध धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग सस्ते दामो में दिल्ली से चोरी-छिपे अवैध गांजा लेकर आते है तथा उसकी छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर आसपास के क्षेत्रों में बेच देते है तथा जो रूपये मिलते है, उससे अपने शौक पूरे करते है। हम गांजा को बेचने के लिए कल्लूगढी के पास आये थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता–

1.नरेन्द्र पुत्र रामफल निवासी ग्राम निडौरी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

2. सुबोध पुत्र रामगोपाल निवासी मोहिदिनपुर ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 09 किलो 130 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20/09/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी सन्नी निवासी खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त विशाल बैंसला उर्फ मोदी पुत्र ईश्वर बैंसला निवासी गनोली थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा पैसों के पुराने लेनदेन को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर हाथापाई करना व अवैध तमंचे से फायर कर देना जिसमें वादी के भाई क्रिश के पैर में गोली लग जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 26/11/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विशाल बैंसला उर्फ मोदी पुत्र ईश्वर बैंसला निवासी नसीब विहार ईलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गनोली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैंने वादी सन्नी से पैसों के पुराने लेनदेन को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर हाथापाई कर अवैध तमंचे से फायर कर दिया था जिसमें वादी के भाई क्रिश के पैर में गोली लग गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल बैंसला उर्फ मोदी पुत्र ईश्वर बैंसला निवासी नसीब विहार ईलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गनोली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।